



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 352]

नई दिल्ली, शनिवार, मई 30, 2015/ज्येष्ठ 9, 1937

No. 352]

NEW DELHI, SATURDAY, MAY 30, 2015/JYAISTHA 9, 1937

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 मई, 2015

सा.का.नि. 441(अ).— केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 के साथ पठित धारा 123 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंपनी (लाभांश की घोषणा और अदायगी) नियम, 2014 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (लाभांश की घोषणा और अदायगी) दूसरा संशोधन नियम, 2015 है।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. कंपनी (लाभांश की घोषणा और अदायगी) नियम, 2014 के नियम 3 के उपनियम (5) का लोप किया जाएगा।

[फा. सं. 1/31/2013-सीएल V-पार्ट]

अमरदीप सिंह भाटिया, संयुक्त सचिव

टिप्पणी : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 241 (अ), तारीख 31 मार्च, 2014 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् अधिसूचना संख्याक सा.का. नि. 397 (अ), तारीख 12 जून, 2014 और संख्याक सा.का.नि 121 (अ), तारीख 24 फरवरी, 2015 द्वारा उनका संशोधन किया गया था।

**MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS
NOTIFICATION**

New Delhi, the 29th May, 2015

G.S.R. 441(E).—In exercise of the powers conferred under sub-section (1) of section 123 read with section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Companies (Declaration and Payment of Dividend) Rules, 2014, namely:—

1. (1) These rules may be called the Companies (Declaration and Payment of Dividend) Second Amendment Rules, 2015.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Companies (Declaration and Payment of Dividend) Rules, 2014, in rule 3, sub-rule (5) shall be omitted.

[F. No. 1/31/2013-CL.V-Part]
AMARDEEP SINGH BHATIA, Jt. Secy.

Note:— The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 241(E), dated the 31st March, 2014 and was subsequently amended by notification number G.S.R. 397(E), dated the 12th June, 2014 and number G.S.R. 121(E), dated the 24th February, 2015.